न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–04/2025

जीसीएमएस नं.–**2025/18**

संदीपकौर पुत्री जसविन्द्रसिंह पत्नी डोगरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं.–38, सैक्टर 9 रेस्ट हाउस के पीछे हनुमानगढ़ जिला हनुमागढ़ (राज.)

––– **प्रार्थीया**

बनाम्

1. जसविन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति जटसिख निवासी चक 15 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. कुलविन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति जटसिख निवासी चक 15 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. अमनदीपकौर पुत्री जसविन्द्रसिंह पत्नी जगदीष जाति जटसिख निवासी चक 15 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. बेअन्तसिंह पुत्र जसविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 15 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. उप पंजीयक, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––––**अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित–

1. श्री अनिल कुमार गक्खड़ एडवोकेट प्रार्थीया की ओर से
2. श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट अप्रार्थी सं.–2 की ओर से
3. श्री सोमदत कचोरिया एडवोकेट अप्रार्थी सं.–1, 3, 4 की ओर से

कार्यालय उप जिला ... जिला श्रीगंगानगर

दिनांक :– 20/05/26

– :: निर्णय :: –

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सयुक्तं खाता की कृषि भूमि वाके चक 15 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–44 पत्थर सं.–267/401 के किला नं.–9 का 0.253, 10/2 का 0.228, 11/2 का 0.228, 12 ता 14 प्रत्येक का 0.253, 15/1 का 0.228, 15/2 का 0. 025 खाला, 16/1 का 0.228, 16/2 का 0. 025 खाला, 17 ता 19 प्रत्येक का 0.253, 20/2 का 0.227, 21/2 का 0.227, 22 ता 25 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर इस प्रकार कुल 4.199 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 व 2 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें अप्रार्थी सं.–1 के नाम [illegible] 1/2 हिस्सा [illegible] अप्रार्थी सं. 2 के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज है जमाबन्दी की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र [illegible] उक्त [illegible] संयुक्त खाता की कृषि भूमि में से अप्रार्थी सं.–1 के 1/2 हिस्सा को आयदा प्रार्थना [illegible] विवादित कृषि भूमि कहा जाऐगा। अप्रार्थी सं.–3 ता 5 प्रार्थीया के भाई बहन है [illegible] प्रार्थीया एवं अप्रार्थी से 3 ता 4 का पिता है इस प्रकार प्रार्थीया [illegible] संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि जो कि प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीया यहां यह स्पष्ट करती है कि प्रार्थीया की दादी गुरदेव कौर पत्नी मंगलसिंह के नाम से वाके चक 15 ए पी डी तहसील अनूपगढ का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:55 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मुरब्बा नं.–44 पत्थर सं.–267/401 के किला नं.–9 ता 25 की कुल 4.199 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज थी। प्रार्थीया की दादी गुरदेवकौर की मृत्यु हो चुकी है प्रार्थीया की दादी गुरदेव कौर के देहान्त के उपरांत उनके नाम की उक्त कृषि भूमि उसके चार वारिसो अप्रार्थी सं.–1 व 2 एवं मनजीत कौर व राजविन्द्र कौर पुत्रीयॉ मंगलसिंह प्रत्येक को 1/4 हिस्सा के रूप में विरास्तन प्राप्त होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई तदुपरांत मनजीत कौर व राजविन्द्र कौर द्वारा उक्त कृषि भूमि में से अपना अपना 1/4 हिस्सा अपने भाईयो अप्रार्थी सं. –1 व 2 को जरिए पंजीकृत दस्तावेज दस्तबदारी क्रमशः दिनांक 04.09.2023 व 29.01.2024 त्याग दिया जिसके प्रकाश में उक्त कुल कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जो प्रार्थीया के पिता यानि अप्रार्थी सं.–1 को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त होकर अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है इस प्रकार अप्रार्थी सं.–1 के नाम की उक्त कुल विवादित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित पैतृक सम्पति है जो कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–3 ता 5 की पैतृक एवं सहदायिक सम्पति है जिसमें प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–3 ता 5 का जन्म से ही हित निहित है फलस्वरूप प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–3 ता 5 विवादित भूमि की सहदायीकी है। जिसमें प्रार्थीया का जन्मसिद्ध अधिकार है विवादित भूमि जो कि सहदायिक सम्पति है, फलस्वरूप उक्त विवादित कृषि भूमि में प्रार्थीया का जन्म से ही हित निहित है इस प्रकार अप्रार्थी सं.–के नाम की 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में प्रार्थीया का उसके जन्मसिद्ध अधिकार व अंश अनुसार 1/5 हिस्सा बनता है जो शुरू से ही प्रार्थीया के अप्रार्थी सं.–1 व 2 के साथ सयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम की कृषि भूमि वाके चक 15 ए पी डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.44 पत्थर सं.–267/401 के किला नं.–9 का 0.253, 10/2 का 0.228, 11/2 का 0.228, 12 ता 14 प्रत्येक का 0.253, 15/1 का 0.228, 15/2 का 0.025 खाला, 16/1 का 0.228, 16/2 का 0.025 खाला, 17 ता 19 प्रत्येक का 0.253, 20/2 का 0.227, 21/2 का 0.227, 22 ता 25 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर इस प्रकार कुल 4.199 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात विवादित कृषि भूमि में बिना प्रार्थीया के अधिकारो की घोषणा करवाये किसी भी तरीके से अन्यंत्र हस्तान्तरित, रहन, बैय, दान करने से निषिद्ध रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना–पत्र में दर्ज उक्त वर्णित कुल 4.199 हेक्टर कृषि भूमि गुरदेव कौर पत्नी मंगल सिंह के नाम से खातेदारी दर्ज होना एवं गुरदेव कौर पत्नी मंगल सिंह के स्वर्गवास उपरांत अप्रार्थी सं.–1 व 2 एवं मनजीत कौर राजविन्द्र कौर पुत्रियाँ मंगल सिंह प्रत्येक का 1/4 हिस्सा विरास्तन प्राप्त होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना एवं तदुपरांत मनजीत कौर एवं राजविन्द्र कौर द्वारा अपना–अप[illegible] अप्रार्थी सं.–1 व 2 के पक्ष में जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी त्याग तथा उक्त कुल 4.1[illegible]क्टर [illegible]र्थी सं.–1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज [illegible] स्वीकार है। उक्त [illegible] कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं.–[illegible] में अप्रार्थी सं.–1 के नाम दर्ज कृषि भूमि संयुक्त हि[illegible]पैतृक सम्पत्ति है। ना ही अप्रार्थी सं.–1 के नाम दर्ज विवादित कृषि भूमि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–3 ता 5 की पैतृक एवं सहदायिकी सम्पत्ति है ना ही विवादित कृषि भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–3 ता 4 का जन्म से हित व अधिकार है। ना ही विवादित भूमि के प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–3 ता 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:55 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला [illegible] जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सहदायिक है। हिन्दू विधि के अनुसार सहदायिकी या पैतृक सम्पति वह सम्पति है जो कि हिन्दू पुरूष सदस्य को अपने पुरूष पूर्वजों पिता, दादा, पितामह से विरासतन न्यागत हुई हो, अन्य रिश्तेदार/नातेदार से प्राप्त सम्पत्ति पैतृक सम्पति नहीं है। हिन्दू नारी की सम्पति उसकी आत्यान्तिक अपनी सम्पति होती है, जिसकी हिन्दू नारी पूर्णः स्वामी होती है। हिन्दू नारी की सम्पत्ति सहदायिकी या पैतृक सम्पत्ति नहीं होती है। हिन्दू पुरूष की स्वतः की कमाई हुई सम्पत्ति और अपने पिता, पिता के पिता (पितामह) पिता के पिता के पिता (प्रपितामह) से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं हुई है किन्तु अन्य किसी स्रोत से प्राप्त हुई हो तो वह सम्पति खानदानी या पैतृक या सहदायिकी सम्पत्ति नहीं होगी। चूंकि उक्त वर्णित सम्पति अप्रार्थी सं.–1 व 2 को पुरूष सदस्य पिता, पितामह, प्रपितामह से नहीं बल्कि महिला सदस्य माता गुरदेव कौर का स्वर्गवास होने के कारण उक्त कुल 4.199 हैक्टर भूमि में अप्रार्थी सं. 1 व 2, गुरदेव कौर की पुत्रियों मनजीत कौर व बिन्द्र कौर प्रत्येक को 1/4 हिस्सा विरास्तन एवं तदुपरांत महिला सदस्यों बहनों मनजीत कौर व राजविन्द्र कौर द्वारा हक त्याग कर देने से उक्त 4.199 हैक्टर भूमि में अप्रार्थी सं.–1 व 2 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि ओर प्राप्त हुई है इस प्रकार उक्त 4.199 हैक्टर भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/2 हिस्सा भूमि महिलाओं माता गुरेदव कौर व बहनों से प्राप्त हुई है इसलिए विवादित भूमि सहदायिकी या पैतृक जायदाद नहीं है। ना ही उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया या अप्रार्थी सं.–3 से 4 सहदायी हैं। विवादित भूमि में प्रार्थीया का कोई हक, अधिकार, अधिपत्य नहीं है इसलिए अप्रार्थी सं.–1 द्वारा विवादित भूमि से प्रार्थीया को वंचित करने का प्रयास करने की पूर्णतया गलत, मिथ्या, निराधार व बेमानी है। विवादित भूमि में प्रार्थीया का अधिकार, अधिपत्य, हक नहीं होने के कारण प्रार्थीया को किसी प्रकार की क्षति नहीं है। प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा या अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने–अपने नाम व अपने–अपने हिस्सा की कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है, रिकॉर्डेड खातेदारान अप्रार्थी सं.–1 व 2 के खिलाफ कानूनन किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं.–1 व 2 को तंग, परेशान करने की गर्ज से झूठा, निराधार, वेग एवं Frivolous प्रार्थना–पत्र एवं वाद–पत्र पेश किया है जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। वादीया का प्रार्थना–पत्र मौजूदा स्टेज पर ही खारिज काबिल है। गौरतलब है कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी सं.–1 के नाम की भूमि को विवादित भूमि अंकित कर अप्रार्थी सं.–1 के नाम की भूमि के संबंध में हस्तगत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है, मुझ अप्रार्थी सं.–2 के विरूद्ध प्रार्थीया ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है और ना ही प्रार्थीया को मुझ अप्रार्थी सं.–2 के खिलाफ कोई वाद कारण प्राप्त है। लेकिन फिर भी प्रार्थीया द्वारा मुझ अप्रार्थी सं.–2 को अनुचित तौर पर पक्षकार मुकदमा संयोजित किया गया है इसलिए मुझ अपार्थी सं.–2 का नाम मुकदमा से काट दिया जाना एवं अप्रार्थी सं.–2 को पक्षकार मुकदमा हटाया जाना न्यायोचित है। ना ही मुझ प्रतिवादी सं.–2 के खिलाफ मुझ प्रतिवादी सं.–2 की कृषि भूमि हे संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जानी न्यायोचित है। अप्रार्थी सं.–1 की माता गुरदेव कौर के देहान्त उपरांत उनके नाम की कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 व 2 एवं अन्य वारिसान मनजीत कौर व राजविन्द्र कौर प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि विरास्तन प्राप्त हुई थी तत्पश्चात अप्रार्थी सं.–1 की बहनों मन[illegible] राजविन्द्र कौर द्वारा अपने अपने हिस्सा की भूमि अप्रार्थी सं.–1 व 2 के पक्ष में छो[illegible] दस्[illegible] अप्रार्थी सं.–1 व 2 के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवाये गये जि[illegible] आधार पर उनके हिस्सा की कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 व 2 के नाम [illegible] हुई थी इस प्रकार प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं.–1 की स्वअर्जित व खातेदारी कृषि भूमि है [illegible] अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में उक्त भूमि में प्रार्थीया का कोई हक अधिकार व हिस्सा नंही बनता। इसलिऐ प्रार्थीया अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में उसकी खातेदारी कृषि भूमि में कोई हिस्सा नहीं कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:55 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सकता इसलिए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेष कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से हैः–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि प्रार्थीया के पिता यानि अप्रार्थी सं.–1 को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त होकर अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है इस प्रकार अप्रार्थी सं.–1 के नाम की उक्त कुल विवादित कृषि भूमि सयुक्तं हिन्दू खानदान की अविभाजित पैतृक सम्पति है जो कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–3 ता 4 की पैतृक एवं सहदायिक सम्पति है जिसमें प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–3 ता 4 का जन्म से ही हित निहित है फलस्वरूप प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–3 ता 4 विवादित भूमि की सहदायीकी है। जिसमें प्रार्थीया का जन्मसिद्ध अधिकार है इसलिये प्रार्थीया के अधिकारों की सुरक्षा के लिये अप्रार्थी को अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण ने अभिकथन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं.–1 को प्राप्त नहीं हुई है। ना ही उक्त भूमि में अप्रार्थी सं.–1 के नाम दर्ज कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित पैतृक सम्पत्ति है। ना ही अप्रार्थी सं.–1 के नाम दर्ज विवादित कृषि भूमि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–3 ता 5 की पैतृक एवं सहदायिकी सम्पत्ति है ना ही विवादित कृषि भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–3 ता 5 का जन्म से हित व अधिकार है। ना ही विवादित भूमि के प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–3 ता 5 सहदायिक हैं। हिन्दू विधि के अनुसार सहदायिकी या पैतृक सम्पत्ति वह सम्पत्ति है जो कि हिन्दू पुरूष सदस्य को अपने पुरूष पूर्वजों पिता, दादा, पितामह से विरास्तन न्यागत हुई हो, अन्य रिश्तेदार/नातेदार से प्राप्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति नहीं है। हिन्दू नारी की सम्पत्ति उसकी आत्यान्तिक अपनी सम्पत्ति होती है, जिसकी हिन्दू नारी पूर्णः स्वामी होती है। हिन्दू नारी की सम्पत्ति सहदायिकी या पैतृक सम्पत्ति नहीं होती है। हिन्दू पुरूष की स्वतः की कमाई हुई सम्पत्ति और अपने पिता, पिता के पिता (पितामह) पिता के पिता के पिता (प्रपितामह) से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं हुई है किन्तु अन्य किसी स्रोत से प्राप्त हुई हो तो वह सम्पत्ति खानदानी या पैतृक या सहदायिकी सम्पत्ति नहीं होगी। चूकि वादाधीन कृषि भूमि महिला पूर्व गुरदेव कौर से न्यागत हुई है न कि पुरूष पूर्वक से इसलिए वादाधीन कृषि भूमि सहदायिकी या पैतृक सम्पत्ति नहीं है। प्रार्थीया किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा या अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने–अपने नाम व अपने–अपने हिस्सा की कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलनः–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष मे सिद्ध नहीं होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीया की अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी एवं अप्रार्थीगण कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षतिः–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थीया अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रही है। अप्रार्थीगण जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:55 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के विरूद्ध तय किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थीया न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज **दिनांक**–20/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:55 IST
Reason: SelfAttested